

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठरीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 350/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/573

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

रामाराम पुत्र सवाराम

जाति प्रजापत

निवासी सिमालिया तहसील पचपदरा

1.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा2.मांगीलाल पुत्र विरदाराम
जाति प्रजापत निवासी सिमालिया
तहसील पचपदरा3.जबरा पुत्र सवाराम जाति प्रजापत
निवासी सिमालिया तहसील पचपदराराजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

- 1.श्री चेलाराम कुमावत व श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी
- 2.विप्रार्थी एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 19/01/2026

1.संक्षिप्त में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सिमालिया तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 249/4 क्षेत्रफल 0.5423 हेक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढा विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढे को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम सिमालिया तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 249/4 क्षेत्रफल 0.5423 हेक्टेयर भूमि की नेखमवंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा


2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण को नोटिस तागील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपरिथत नही होने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अगल में लाई गई।

3.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहरा सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहरा में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सिमालिया तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 249/4 क्षेत्रफल 0.5423 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि को रोढ रोढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि को रोढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगडालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सिमालिया तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 249/4 क्षेत्रफल 0.5423 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमाये जाये।

4.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्य रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम सिमालिया तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 249/4 क्षेत्रफल 0.5423 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 में अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्ड खातेदार है,और रिकार्ड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबन्दी करवाने के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल. आर. एक्ट का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :-धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:

1.(परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र,जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक


सपक्षण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालातर:

11.01.2025 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाइश करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सिमालिया तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 249/4 क्षेत्रफल 0.5423 हैक्टेयर भूमि की पैमाइश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाइश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है।



(Signature)
(अशोक कुमार) 19/01/2026

उपखण्ड अधिकारी

बालोतरा

आदेश आज दिनांक 19.01.2026 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा